



# पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छग)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu3@gmail.com

क्रमांक : 3823 / अका. / 2024


रायपुर, दिनांक : 18/07/2024

## ॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.02.2024 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय बिन्दु क्रमांक 05(2) एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 3-13/2024/38-2 दिनांक 02.07.2024 के अनुक्रम में Revised Statute No.-10 "BOARD OF STUDIES[Refer Section 25(1)]" में संशोधन को माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। परिनियम क्रमांक-10 में निम्नानुसार संशोधन अधिसूचित किया जाता है -

वि.वि. परिनियम क्रमांक	वर्तमान में प्रचलित प्रावधान	नवीन प्रावधान
10	Nil	Name of faculty- No. 3 -Faculty of Science Addition of Serial No. 11 Forensic Science after Serial No. 10

आदेशानुसार,

  
18/7/24  
कुलसचिव


पृ. क्रमांक : 3824 / अका. / 2024

रायपुर, दिनांक : 18/07/2024

प्रतिलिपि :-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
- समस्त विभागीय अधिकारी,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप-कुलसचिव (अका.)